पीठासीन अधिकारी– जीतू सिंह मीणा आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार राजस्व छतरगढ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

उग्रसेन गोदारा पुत्र ख्यालीराम कौम जाट साकिन महताब कॉलोनी, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 86 आर टी एक्ट

उपस्थित :

01. श्री कुलदीप कस्वां तहसीलदार छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :– 28.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार छतरगढ ने दिनांक 09.02.2021 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि भू0अ0नि0 छतरगढ की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी उग्रसेन गोदारा पुत्र ख्यालीराम कौम जाट साकिन महताब कॉलोनी, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर ने अपनी खातेदारी भूमि चक 9 एआरएम के मु.नं. 98/6 [illegible] खेजड़ी के पेड़ कुल 03 पेड़ काट लिये गये है जो कि बिना किसी [illegible] स्वीकृति के काटे गये है। उक्त काटे गये पेड मौके पर पाये गये इसलिए काटे गये पेड़ों को कुर्क किया गया है। जिसकी मौका फर्द भू0अ0नि0 छतरगढ द्वारा तैयार कर अप्रार्थी से जुर्माना वसूली की कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:25:06 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से तहसीलदार राजस्व छतरगढ का कथन है कि अप्रार्थीगण जानबुझकर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के 03 पेड काटकर विधिविरूद्व कार्य किया है, इसलिए काटे गये पेडों को कुर्क किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रति पेड सौ रूपयें की दर से जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश फरमायें जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, रिपोर्ट तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 छतरगढ रिपोर्ट का अवलोकन किया। हम तहसीलदार राजस्व छतरगढ की रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा पेडों को बिना पूर्व अनुमति के काटा गया है। इसलिए काटे गये पेडों को कुर्क किया गया है। अतः अप्रार्थी उग्रसेन गोदारा पुत्र ख्यालीराम कौम जाट साकिन महताब कॉलोनी, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर से अवैध रूप से कुल काटे गयें 03 पेडों के लिए बतौर जुर्माना 100 रूपयें प्रति पेड की दर से कुल 300/- रूपयें वसूल कर खजाना राज में जमा करानें के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व छतरगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे एवं एक प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:25:06 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू सिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ (बीकानेर)